

प्रेषक,

राधेश्याम मिश्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2019

विषय: वर्ष 2017-18 में बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 में बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों का विवरण आपके पत्रांक 135/द्वैती आपदा/2018-19 दिनांक-17-01-2019 द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनकी मरम्मत हेतु रु0-116.05 लाख की धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके जनपद की मांग के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश दिनांक-08.04.2015 में निर्धारित मानक के अनुसार बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु0-116.05 लाख (रुपये एक करोड़ सोलह लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0)
1	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हरबंशपुर चोराहे से रानीपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 में मरम्मत का कार्य	22.24
2	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त संगमपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1(600) में मरम्मत का कार्य	19.44
3	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कौवापुर से वादेपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 (500) में मरम्मत का कार्य	22.34
4	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त गोपालपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 (500) में मरम्मत का कार्य	12.45
5	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त गौहनिया सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 5, 6 में मरम्मत का कार्य	39.58
	कुल योग	116.05
(रुपये एक करोड़ सोलह लाख पांच हजार मात्र)		

3- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से उपभोग किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803 / दसा-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार किया जायेगा।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड -800- अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों के लिये ही किया जायेगा। किसी भी अन्य कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6- कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के समय एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ अवश्य रखे जायें एवं प्रगति रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय की ई-मेल rahat@nic-in पर उपलब्ध करायी जाये।

7- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसी वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11— उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

12— व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकित कराया जायेगा और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या — 68 (1)/1-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3— सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- ✓4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 5— अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड श्रावस्ती।
- 6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 8— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-25/02/2019

प्रेषण संख्या:- 0068
आवंटन आदेश संख्या:- 183-30
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11605000 62901244	11605000 62901244
	योग	वर्तमान प्रगामी	11605000 62901244	11605000 62901244

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सोलह लाख पाँच हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ उन्तीस लाख एक हजार दो सौ चौवालीस

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन